उत्तर प्रदेश में मध्यम और बड़े आकार की सिंचाई परियोजनाएं

1720. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मध्यम और बड़े आकार की अनेक सिंचाई परियोजनाएं अत्यधिक खर्चीली और विलंबकारी सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मध्यम और बड़े आकार की सिंचाई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु प्रस्तावित विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) बृहद सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की सामान्यतया अवधि 10—15 वर्ष होती है और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 5 वर्ष होती है । इस आधार पर राज्य सरकार ने 1978-79 से पूर्व 14 अनुमोदित बृहद सिंचाई परियोजनाएं शुरू की थी और सातवीं योजना से पूर्व एक अनुमोदित मध्यम सिंचाई तथा 3 अनुमोदित विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अपनी समय सीमा से पीछे चल रही माना गया है । संशोधित लागत के अनुसार उनकी अनुमानित लागत प्रारम्भिक अनुमानित लागत 1055.86 करोड़ रुपये से बढ़कर 4617.40 करोड़ रुपये हो गयी है । निर्माण के दौरान मूल्य बढ़ जाना तथा संसाधनों की कमी के कारण विभिन्न परियोजनाओं के लिये पूर्वनिर्धारित निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप अपर्याप्त वार्षिक नकदी प्रवाह लागत वृद्धि के मुख्य कारण हैं ।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बृहद और मध्यम सिंचाई क्षेत्रों को 2599.34 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं । राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं को विशेष सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है । आठवीं योजना नीति में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है । राज्य को योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए परियोजनावार परिव्यय का कड़ाई से पालन करना है ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके ।

Recommendation of Vaidyanathan Committee

1721. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what are the recommendations of Vaidyanathan Committee with regard to nationalisation of the rate structure for irrigation water; and

(b) what recommendations have been accepted by Government

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Some salient features of the report of Vaidyanathan Committee include : treating water rates as users charge; the objective of water charge is ultimately to recover cost; linking revision of water rates to the improvement of the quality of service; revision and implementation of water rates in phases; consolidation of the system of farmer group management; upgrading the system to higher level efficiency in water use and productivity; setting up of experts group at the State level for working out norms and procedure for periodic monitoring; setting up of autonomous boards at the State level to review policy regarding cost of water, revising water rates and introducing a minimum financial return criteria.

(b) 'Irrigation' being a state subject, decision on water rates can be taken only in consultation with the State Governments and the Administration of Union Territories. With a view to go into the report of the Committee and to have a broad spectrum of the views on various recommendations made by the Committee, the Planning Commission has constituted a group of officials under the Chairmanship of the Secretary, Planning Commission.

विश्व बैंक की सहायता से कार्य करने वाली चालू सिंचाई परियोजनाएं

1722. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उसकी सहायता से चल रही चालू सिंचाई परियोजनाओं पर कोई आपत्ति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन पर ये आपत्तियां की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी हां । विश्व बैंक ने